न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट

जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- श्री मांगीलाल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 01/2024

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थीगण

1. शिवसिह पुत्र बचनसिह
2. उम्मेदसिह पुत्र प्रतापसिह
3. पदमसिह पुत्र नारायणसिह

सभी जाति राजपुत निवासी नयाबेरा तहसील लोहावट जिला फलोदी।

1. तहसीलदार लोहावट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :-

श्री अशोक कुमार कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थीगण

-:: निर्णय ::- दिनांक 26.06.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि तहसील लोहावट पटवार मण्डल नयाबेरा के राजस्व ग्राम नयाबेरा की सरहद में खेत खसरा नम्बर 379 रकबा 7.8590 हैक्टेयर भूमि आई हुई है प्रार्थीगण की उक्त भूमि के कणा माठ खुर्द बुर्द होने एवं सीमाचिन्ह नदारद हो गये है निशानात नही होने से प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का विकास कार्य नही करवा पा रहा है इसलिए प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान हल्का पटवारी के माध्यम से करवाया। जो हल्का पटवारी ने दिनांक 29.09.2023 को सीमाज्ञान कर फर्द रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गयी। सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है सीमाओं पर पत्थर गाड कर तारबन्दी करके भूमि के विकास कार्य करना चाहते है विधिवत पत्थरगढी हो जाने से प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओ के चिरस्थाई मुटाम स्थापित हो जायेगा। प्रार्थीगण के खेत की सीमा पर पत्थर के खुटे व तारबन्दी नही होने से मवेशियो आदि से फसल को नुकसान पहुंचाते है जिससे प्रार्थीगण को नुकसान हो रहा है इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढी के लिए टीम गठित कर पत्थगढी करवाना चाहते है इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 110, 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम का पेश किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लोहावट का नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त भूमि में बोई फसल एंव प्राकृतिक पैदावार की सुरक्षा एवं भूमि के सीमाओ को चिरस्थाई करवाने के लिए पत्थरगढी करवाना चाहता है प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है एवं इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है और न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाने है। इसलिए प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकर योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लोहावट को आदेश दिये जाते है कि ग्राम नयाबेरा पटवार हल्का नयाबेरा तहसील लोहावट के खसरा नम्बर 379 रकबा 7.8590 हैक्टेयर भूमि की सीमाओ का राजस्व टीम गठीत करवाकर, नियमानुसार सीमांकन किया जाकर सीमाज्ञान चिन्हित कर मौके पर आवश्यक होने पर शान्ति व्यवस्था के लिए संबंधित पुलिस थाना से ईमदाद ली जाकर उपरोक्त खसरा की सीमाओं की पत्थरगढी करवायी जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 26.06.2024 को सुनाया गया।

मांगीलाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी लोहावट

Scanned with CamScanner